श्रीमति कस्तूर बाई बनाम प्रमोद कुमार वगै0

पील संख्या : 17/433

09.02.2018

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्ता उपस्थित ।

रेस्पोडेन्टगण ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील में पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है और अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट की बकाया राशि अदा कर दी है इसलिए रेस्पोडेन्ट अपना वाद अपील स्टजे पर विड्रो करना चाहते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री वाद विड्रो करते हुए निरस्त फरमा दी जावे । अतः वादी रेस्पोडेन्ट का वाद विड्रो फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में पक्षकारान ने अपनी सहमति दी है और अपने हस्ताक्षर किये हैं जिनकी उनके अभिभाषक द्वारा पहचान की गई है । पक्षकारान के मध्य हुए आपसी समझौते को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सीपीसी स्वीकार किया जाता है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 निरस्त किया जाकर वाद वादी विड्रो किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । आज दिनांक 09.02.2018 को निर्णय सुनाया गया । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा